forward new proposals at the Conference.

(d) The Conference was useful in as much as it enabled pooling of experiences and ideas of different countries on these important subjects. It also resulted in better contacts between the Railways of participating countries.

गेहूं की किस्म

*१०३९. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल०-४८० के अन्तर्गत जो गेहूं आ रहा है वह निर्यात किये जाने से पहले उबाला जाता है और इसीलिए वह निस्वाद और निःसत्व होता है ; और

(ख) क्या पी० एल०-४८० के अधीन प्राप्त यह सब गेहूं सरकारी लाइसेंस प्राप्त उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा बेचा जाता है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं ।

(ख) पी० एल०-४८० के अन्तर्गत आयात किये गये गेहूं को या तो उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा बेचा जाता है या बेलन आटा मिलों या चक्कियों को दिया जाता है ।

Production of Sugar

*1045. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total sugar production in 1963-64, State-wise, and the latest recovery of various sugar factories, State-wise;

(b) how much sugar Government require for internal consumption and for export purposes; and

(c) the future programme drawn up so far for increasing sugar production?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): (a) Two statements giving Statewise total sugar production upto 31st March, 1964 and latest Statewise recovery of sugar per cent cane in the season 1963-64 are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2711/64].

(b) The quantity of sugar required to meet export commitments during 1963-64 is 2.60 lakh tonnes. Internal consumptions will depend on availability.

(c) Government have already announced a higher basic minimum sugarcane price for 1964-65 and other measures would be considered in due course for augmenting production in the ensuing season. Some additional capacity is likely to be established in 1964-65. Further capacity is being licensed to increase production in future years.

दिल्ली परिवहन की बसों के किराये

*१०४६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कपूर सिंह :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कछवाय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्रीमती जोहरा बहन चावदा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री मान सिंह पु० पटेल :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने "दिल्ली परिवहन" की बसों के किरायों में वृद्धि की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकार ने बसों के किरायों में वृद्धि को स्वीकार नहीं किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सम्बंध में भारत सरकार को कुछ ज्ञापन भी भेजे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ) तक. चूंकि दिल्ली परिवहन के विद्यमान किराये की दरों के कारण व्यावहारिक समस्याएं पैदा हो जाती थीं और इनके कारण बहुत सी शिकायतें आती थीं, इसलिये दिल्ली नगर निगम ने, दिल्ली परिवहन समिति के सुझाव पर, दिल्ली परिवहन द्वारा चलायी जाने वाली नियमित सेवाओं के लिए युक्तिसंगत किराये की दरों को लागू करना स्वीकार किया। [दरों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, **देखिये संख्या एल० टी०—२७१२/६४**।] दिल्ली परिवहन द्वारा किराये की संशोधित दरें, राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गयी । उस प्राधिकार ने, २५ मार्च, १९६४ को हुई अपनी बैठक में, किराये की संशोधित दरों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । दिल्ली परिवहन ने इसके बाद, ३० मार्च, १९६४ को उपर्युक्त मामले पर पुनः विचार करने के लिये एक आवेदन-पत्र दिया । राज्य परिवहन प्राधिकार दिल्ली, ने १० अप्रैल, १९६४ को इस आवेदन-पत्र पर यथोचित विचार किया और दिल्ली परिवहन द्वारा प्रस्तावित किराये की दरों को उनमें एक तरमीम करने के बाद, स्वीकार कर लिया ।

इस सम्बंध में, केन्द्रीय सरकार को भी बहुत से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं । चूंकि प्रस्तावित किराये की दरों पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा था जो कि एक न्यायिक कल्प निकाय (Quasi-Judicial Body) है, इसलिये उन ज्ञापनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

Telephone Exchange at Sundernagar

2100. Shri Ansar Harvani: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 561 on the 26th November, 1963 and state the progress made in regard to the installation of a telephone exchange at Sundernagar-Tatanagar (Singhbhum), a growing industrial town?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati): The opening of the exchange has been approved and necessary estimates, etc. are being framed and will be sanctioned shortly.

Development of Horticulture

2101. Shri Ramachandra Ulaka: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount of money in the shape of loans and grants given to Orissa Government for horticulure during 1963-64;

(b) the amount utilised by the State during the same period; and

(c) the amount proposed to be given to that State for the purpose during 1964-65?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* **LT-2713/64**].

Foodgrains sent out of Orissa

2102. Shri Ramachandra Ulaka: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains sent out of the State of Orissa during the last six months; and